



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38

6 कार्तिक 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —————
28 अक्टूबर 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि।	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

3-3

4-4

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

20 अक्टूबर 2020

सं० 02/शमन-07(A)/2015, परि०-7686—यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2782, दिनांक-14.05.2020 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक 23.04.2020 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-5363/गो०, दिनांक 26.09.2020 द्वारा अगले छः माह तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-5363/गो०, दिनांक 26.09.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में समीक्षोपरांत पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 23.10.2020 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए **मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।** शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 1221—मैं मनोज कुमार पुत्र स्व० केदारनाथ निवास—बासमती भवन, गोला रोड, बेली रोड, वरुण कॉलोनी, दानापुर पटना शपथपत्र सं० 10003 तारीख 15.10.2020 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि श्रिती (Shriti) मेरी पुत्री है। अब यह श्रिती राज (Shriti Raj) के नाम से जानी एवं पहचानी जायेगी।

मनोज कुमार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 27 / आरोप-01-91 / 2019-सा०प्र०-9414
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

9 अक्टूबर 2020

श्री मुकेश दर्त शर्मा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 481/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77 महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरुद्ध सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2355 दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापक 15857 दिनांक 05.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः श्री मुकेश दर्त शर्मा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 481/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77 महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरांत दिनांक-01.03.2020 से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>